न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

अपील प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2019 **दायर तारीख** 18.06.2019

1. सुरेन्द्रसिंह भाटी पुत्र मदनसिह भाटी जाति दरोगा निवासी रोजास हाल निवासी वार्ड नम्बर 4 धोद जिला सीकर।

––: अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत नैतियास
2. तहसीलदार परबतसर
3. भू. अभिलेख निरीक्षक पीलवा
4. पटवारी हल्का नैतियास

–– रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1989 नामान्तकरण संख्या 156 अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान वकील अपीलान्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 26.11.2019

1. अपीलार्थी सुरेन्द्रसिंह भाटी ने यह अपील अभिभाषक श्री गजराज चौहान के जरिये पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम रोजास के खसरा नम्बर 1 रकबा 1.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 3.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.98 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 1.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.97 हैक्टयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.67 हैक्टयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा न्म्बर 65 रकबा 0.0100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 1.86 हैक्टयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 1.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 68 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा न्म्बर 74 रकबा 0.69 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.96 हैक्टयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.04 हैक्टयर खसरा नम्बर 92 रकबा 0.73 हैक्टयर स्थित है। अपीलान्ट ने नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की हैं जिसमें अन्य हितबद्ध व्यक्ति जिनका नामान्तकरण साथ में भरा गया था उनको पक्षकार नही बनाया गया हैं तथा न ही कोई अनुतोष हितबद्ध व्यकितयों के

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

विरूद्ध मांगा हैं क्योंकि अपीलान्ट केवल नामान्तकरण में नाम दुरूस्ती हेतु अपील पेश की है। सम्पूर्ण नामान्तकरण कानुनी रूप से सही भरा गया हैं। अपीलान्ट ने बताया हैं कि अपीलान्ट का राजस्व रिकार्ड में नाम रेंवत पुत्र मदन अंकित हैं। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह भाटी पुत्र मदनसिंह भाटी हैं। अपीलान्ट के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स में अपीलान्ट का नाम सुरेन्द्रसिंह भाटी पुत्र मदनसिंह भाटी है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से रेंवत पुत्र मदन अंकित हुआ हैं। जिससे अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण में रेंवत पुत्र मदन के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह भाटी पुत्र मदनसिह भागी की रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु अपील पेश की है।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के सम्मन व्यक्तिगत रूप से तामील होकर प्राप्त हाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, एवं नामान्तकरण संख्या 156 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

3. अपीलान्ट की अपील पर उसके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि अपीलान्ट को घर पर लाड़ प्यार से रेंवत नाम से बोलते थे तथा वास्तविक नाम सुरेन्द्रसिंह भाटी हैं। राजस्व कर्मचारियों ने बोलचाल की भाषा वाला नाम नामान्तकरण में अंकित करते हुए स्वीकृत करवा दिया जो गलत हैं, अपीलन्ट का सही नाम सुरेन्द्रसिंह भाटी हैं जो अन्य सभी दस्तावेजा व सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से साबित होता हैं जिससे नामान्तकरण में नाम संशोधन करने का आदेश फरमावें।

4. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्य 156 खातेदार मदन पुत्र लादू कौम दरोगा फौत होने पर दर्ज उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तकरण मदन पुत्र लादू फौत हुए खातेदार के वारिसान द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। वारिस प्रमाण पत्र में अपीलान्ट का नाम रेंवत पुत्र मदनल अंकित होने से नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम रेंवत अंकित किया गया है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट का नाम वारिस प्रमाण पत्र में सुरेन्द्रसिंह भाटी अंकित हो ओर नामान्तकरण में रेंवत दर्ज कर दिया हो। नामान्तकरण 30 वर्ष पूर्व पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया हैं जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई हैं जिसमें वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार नाम सही होना बताया हैं जिसके बाद तत्काली सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्व सम्मति से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण दर्ज होने में किसी प्रकार की त्रुटि सिद्ध करने में असफल

26/11/19
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा लगभग 30 वर्ष बाद पेश की हैं। अपीलान्ट ने अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण दिनांक 21.04.1989 को स्वीकृत किया गया था तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.06.2019 को अपील पेश कर नामान्तकरण को खाजिर कराना चाहा हैं जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त अपील मयाद बाहर है, तथा दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि अपीलान्ट द्वारा सिद्ध नहीं की जावे के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अभाव में मयाद बाहर होने व दर्ज नामान्तकरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। यह आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/19
(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)